न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2023 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 23.02.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/30

1–बालू पिता मांगू जी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बनाकिया कलां, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–गोपी पिता मांगू जी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बनाकिया कलां, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–सोहन पिता मांगू जी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बनाकिया कलां, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
4–हीरालाल पिता मांगू जी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बनाकिया कलां, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
5–नारायण पिता मांगू जी भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी बनाकिया कलां, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.08.2022 न्यायालय तहसीलदार कपासन, प्रकरण संख्या 25/2022

उपस्थितिः–1– श्री चन्दनमल जणवा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

प्र. सं. 30/2023 (रा. अ.)
बालू पिता मांगू जी भील निवासी बनाकिया कलां तहसील कपासन वगैरा बनाम सरकार जरिये तहसीलदार कपासन

निर्णय

दिनांक 18.07.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का बनाकिया कलां के द्वारा अवैध अतिक्रमण के संबंध में की गई रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बनाकिया कलां की आराजी नम्बर 457, 3765/283, 458, 459 एवं 460 कुल रकबा 2.52 हैक्टेयर अपीलांट्स का अतिक्रमण मानते हुए अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए भूमि से बेदखल करने, लगान 15.00 रू. का पचास गुणा 750 रूपये शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, कपासन से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील कपासन के ग्राम बनाकिया कलां की आराजी नम्बर 457, 3765/283, 458, 459 एवं 460 कुल रकबा 2.50 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट्स का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट्स के विरूद्ध बेदखली एवं लगान 15 रूपये का पचास गुणा 750 रूपये का जुर्माना शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त विवादित आदेश पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अपीलांट्स को नोटिस जारी कर तलब करते हुए आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.09.2022 को सुनवाई नियत की गई व नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त होने का अंकन किया तथा तामील बाबत कोई आदेशिका संधारित नहीं की जाकर आगामी पेशी दिनांक 14.09.2022 को नियत की गई तथा उसी दिनांक को प्रिन्टेड आदेशिका संधारित करते हुए बिना अपीलांट्स की तामील कराये बिना साक्ष्य-सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किए यह विवादित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सम्यक रूप से ना तो तामील कराई और ना ही अपीलांट्स को

सूचना पत्र तामील हुआ की नहीं हुआ इसका भी कोई उल्लेख/अंकन आदेशिका में नहीं है और मनमकसूद तरीके से आदेश पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यदि अपीलांट्स को सूचना पत्र तामील होता तो निश्चित रूप से वह जवाब व साक्ष्य–सबूत पेश करता जो कि ऐसा नहीं हुआ है। विवादित आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.01.2023 को पटवारी हल्का द्वारा शास्ति वसूली का तकाजा करने पर हुई जिस पर आगामी दिवस 30.01.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर नकल हेतु आवेदन पेश करने पर नकल दिनांक 02.02.2023 को प्राप्त हुई उसके पश्चात् अधिवक्ता से विधिक राय लेकर यह अपील बिना किसी देरी के पेश है फिर भी विलम्ब को क्षम्य कराये जाने हेतु दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.09.2022 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय खैल मैदान की भूमि है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 24.08.2022 को अपीलांट्स को धारा 91 का नोटिस जारी कर वास्ते सुनवाई हेतु प्रथम तारीख पेशी दिनांक 06.09.2022 को उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया है तथा प्रथम आदेशिका दिनांक 06.09.2022 में पीठासीन अधिकारी के उर्स कार्यक्रम में व्यस्त होने से द्वितीय पेशी दिनांक

14.09.2022 नियत की गई है तथा पेशी दिनांक 14.09.2022 में छाप अंकित है कि ''पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी हाजिर नहीं। आवाज लगवाई गई। अप्रार्थी के नहीं आने से अप्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही को एक तरफा की जाती है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।'' अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सूचना पत्र तामील हुए अथवा नहीं इसका कहीं कोई अंकन आदेशिकाओं में नहीं किया गया है प्रथम तारीख पेशी पर सूचना पत्र जारी किए गए, द्वितीय पेशी पर पीठासीन अधिकारी के उर्स कार्यक्रम में वयस्त होने से तीसरी तारीख पेशी पर सीधे ही अपीलांट्स की अनुपस्थिति बताते हुए आदेश दिनांक 14.09.2022 पारित कर दिया गया है जो कि उचित नहीं है।

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा न ही उसे जवाब व साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है जो कि अनुचित है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना नहीं पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14.09.2022 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)